



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092020-221587
CG-DL-E-07092020-221587

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]
No. 441]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

सं. 33/2020-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 547(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 258 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द “एम.फीचर” के स्थान पर शब्द “पेपर आधारित टैगन्ट, एम.फीचर समेत,” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 354/100/2020-टीआरयू]

जे.एस. कंधारी, उप सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 32/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 07 अगस्त, 2020, जिसे सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 07 अगस्त, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया है, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

No. 33/2020—Customs

G.S.R. 547 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 258, in column (3), for the word “M-feature”, the words “Paper Based Taggant, including M-feature,” shall be substituted.

[F. No. 354/100 /2020- TRU]

J.S. KANDHARI, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785 (E), dated the 30th June, 2017 and last amended vide notification No.32/2020- Customs, dated the 7th August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 494 (E), dated the 7th August, 2020.